महत्वपूर्ण एवं खास

जंगल की आग से घर जला

महासमुंद, (आरएनएस)। सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिजातीपाली के समीप जंगल में लगी आग ऐसी भड़की कि उसने आश्रित ग्राम तिलाईपाली के गोजीसिंह के घर को चपेट में ले लिया। इस आग से पूरा घर जलकर तहस नहस हो गया। इस घटना से वन विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रामपंचायत बिजाती पाली जंगल के पास बसा हुआ है, जिसमें से तिलाईपाली जंगल से काफी करीब है। जंगल में आए दिन आग लगने की खबरें आती रहती हैं। इस बार जंगल की आग भड़कते हुए गांव के पास तक पहुंच गई, जिसने गोजी सिंह के कच्चे मकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से मकान सहित पूरा सामान भी जल गया। गोजीसिंह ने बताया कि घर तो पूरी तरह से जल गया है, अब उनके 4 सदस्यीय परिवार के समक्ष रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में 4-5 दिन पूर्व से ही आग लगी हुई है, इस बीच वन विभाग के कोई भी कर्मचारी इसे बुझाने के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि उस मोहल्ले में लगभग 35 परिवार रहते हैं और इस प्रकार आगजनी की घटना से सभी दहशत में हैं।

मानसिक रोगियों के सुधार से संबंधित विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला

महासमुंद, (आरएनएस)। जिला न्यायालय के सभागार में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिवार कल्याण समिति एवं मानसिक रोगियों के सुधार से संबंधित विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, एस डी ओपी, विभिन्न थाना के प्रभारी, अभियोजन अधिकारी गण कुंवर सिंह रत्नेश, श्रीमती सोनवानी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अनिल शर्मा, शासकीय अभिभाषक एनएस ठाकुर एवं अधिवक्ता संघ के सदस्यगण एवं पैनल अधिवक्ता शामिल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायालय के न्यायाधीशगण, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण एवं अधिवक्ता गण द्वारा माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। कार्यशाला में प्रथम वक्ता के रूप में द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने संदर्भित न्यायदृष्टांत के पैरा नंबर 19 में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं को विस्तृत रूप से स्पष्ट करते हुए निर्णय के पूर्व की स्थिति तथा न्यायदृष्टांत के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में धारा 498 अ भारतीय दंड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बढ़ते दुरूपयोग के कारण पारिवारिक संरचनाओं को तोड़ने से बचाने के लिए संदर्भित दिशा-निर्देश मा. उच्चतम न्यायालय ने जारी किया है। अनिल शर्मा ने उच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देशों को पारिवारिक एवं संरचनाओं को बनाए रखने के लिए सराहनीय कदम बताया। प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता तेजेन्द्र चंद्राकर ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम तथा नालसा (मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की विधिक सेवाएं) योजना 2015 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को निःशुल्क रूप से मनोचिकित्सालय तक पहुंचाए जाने में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कोई भी थाना प्रभारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पाए जाने वाले मानसिक रोगी या बीमार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर जिला चिकित्सालय से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के रेफरल आदेश के द्वारा मना चिकित्सालय सेंद्री बिलासपुर भेज सकते हैं। संचालन एवं उपरोक्त जानकारी सचिव राजेश्वरी सूर्यवंशी जिला अधिवक्ता सेवा प्राधिकरण ने दी।

भदौरा के डामर प्लांट को बंद करने ग्रामीणों का हल्लाबोल

बिलासपुर, (आरएनएस)। ग्राम भदौरा में स्थापित डामर प्लांट को बंद कराने के लिये ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। आज इस कड़ी में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्लांट से प्रदूषण समेत गंभीर बीमारी की आशंका पर ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष जनदर्शन में पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से तत्काल प्लांट को बंद करने की मांग ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। गौरतलब हो कि आज मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर पी. दयानंद जिले से आये फरियादियों की समस्याओं को सुनने बैठे। इस दौरान कई तरह की समस्या आती रही। इसी बीच अचानक दोपहर में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमा हो गये। इतना आक्रोश ग्रामीणों का डामर प्लांट को तत्काल बंद कराने की मांग को लेकर था। इस भीड़ में सरपंच, उप सरपंच समेत मस्तूरी क्षेत्र के बड़े नेताओं का जमावड़ा था। सभी की सिर्फ एक ही मांग थी कि उक्त डामर प्लांट को बंद किया जाये। गांव में डामर प्लांट लगाया गया है। जिसका दुष्प्रभाव तालाब, नल, खेतों की फसल एवं प्रदूषण के रुप में सामने आ रहा है। इसके अलावा गंभीर बीमारियां ग्रामीणों को दहशतजदा कर रही है। ऐसे में ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। इससे गांव वाले परेशान होकर गांव छोड़ने की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं पूर्व में भी इस मामले को लेकर एक दिसंबर 2014 को कलेक्टर को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया है। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज फिर से एक बार विरोध का स्वर बुलंद करते हुये कलेक्ट्रेट में काफी संख्या में शिकायत करने के लिये पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से ज्ञापन के माध्यम से उक्त प्लांट को तत्काल बंद करने की मांग रखी है। आज इस मौके पर सरपंच, उप सरपंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

भू-अभिलेख अनुसार भू-धारक को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं

कोरबा वेस्ट हेतु रेललाईन - निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण सम्बंधी प्रकरण

न्यायसाक्षी रायगढ़। सामाजिक न्याय संघ को कार्यवाही हेतु प्रदत्त अपने आवेदन में नान्हूदास महंत आ0 श्री कसिया दास ने, निवासी ग्राम शंकरपाली तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छ0ग0 का होकर के कहा कि आवेदक के द्वारा दिनॉक 15 जनवरी 1982 को, ग्राम शंकरपाली प0ह0नं0 20 रा0नि0मं0 पुसौर जिला रायगढ़ स्थित जमीन जिसका खसरा नं0 215/1, 215/3, 219/3, 257/1, एवं 293/2 कजसका कुल रकबा 0.804 हेक्टेयर था, को विधिनुसार क्रय किया गया था। विदित हो कि उक्त भूमि में से 257/1 रकबा 0.114 हेक्टेयर का अधिग्रहण कोरबा वेस्ट के रेल-लाईन निर्माण हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पक्ष एवं सापेक्ष में किया जाना था, लेकिन इस प्रक्रिया में कतिपय शासकीय कर्मचारियों के द्वारा शासकीय रिर्कार्ड में फर्जी तरीके से हेर-फेर की गई और आवेदक को इस सम्बंध में कि उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, सम्बंधी कोई सूचना दी गई, जो कि न्यायोचित नहीं था। विदित हो कि उक्त भूमि में सह क्रेता आवेदक की पत्नी ''रामबाई'' थीं, जिसका स्वर्गवास छः-सात वर्ष पूर्व हो चुका है। इस सम्बंध में पता किए जाने से आवेदक को जानकारी हुई कि कोरबा वेस्ट के रेल लाईन निर्माण हेतु 257/1 रकबा 0.114 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जाकर 2,24,000/ रु0 अक्षरांक दो लाख चौबीस हजार रुपये का मुआवजा तय किया जा चुका है, साथ ही यह भी जानकारी हुई कि उक्त भूमि का एकल स्वामी होने के बाद भी उसमें पुनीराम पिता नकूराम, फूलकुँवर बेवा नान्हेराम का नाम शामिल कर दिया गया है, जबकि ना तो आवेदक इनको जानता और नाही आवेदक को इन से कोई सम्बंध है, इससे स्पष्ट होता है कि शासकीय रिर्कार्ड में हेर-फेर किया गया है, और विधि का उलंघन किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं था। आवेदक के पास उक्त सम्बंध में सारे रिकॉर्ड हैं, जो कि प्रमाणित करते हैं कि शासकीय रिर्कार्ड में हेर-फेर की गई है, स्पष्ट है कि यह कृत्य जानबूझ कर अपने लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं था, जिसपर आवेदक नें तत्काल प्रभाव से जॉच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराए जाने का निवेदन किया है।

बदल गया है पिता का नाम?

इस सम्बंध में जब अधिकारी से मुलाकात करने आवेदक पहुँचा तो उसे पता चला कि उसके पिता का नाम जो कि ''कसियादास'' है को भी बदल दिया गया है, और उसे बदलकर ''कालिदास'' कर दिया गया है, जो कि स्पष्ट करता है कि शासकीय अभिलेख में फर्जी तरीके से हेर-फेर हुई और ऐसा करने वाले शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध आवेदक ने पुलिस में भी शिकायत करने की इच्छा रखी है, ताकि न्यायोचित जॉच होकर दोषियों को सजा मिल सके।

:: मुख्य बिन्दु ::

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक न्याय संघ ने आवेदक के आवेदन, शपथ–पत्र एवं समस्त दस्तावेजों को 1/श्रीमान् राज्यपाल महोदय, 2/ मुख्यमंत्री महोदय, 3/ पुलिस महानिदेशक, 4/ पुलिस महानिरीक्षक, 5/ कलेक्टर,रायगढ, 6/ एस0पी0, रायगढ,7/ एस0 डी0एम0, शासन, 8/ तहसीलदार /ना0 तहसीलदार, पुसौर, को प्रकरण त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा है, और न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।

आवेदक ने बताया कि उक्त समस्त दस्तावेजों की मूल-प्रति आवेदक अपने साथ सुरक्षित रखता है, जो कि जॉच के समय मॉगे जाने पर प्रदान की जावेगी। आवेदक ने कहा कि मुझे बेहद मानसिक कष्ट हो रहा है, अतः यह आवेदन मय गवाहान् न्याय हेतु आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत कर रहे है, ताकि न्याय प्राप्ति हो सके। आवेदक ने आवेदन के साथ शपथ-पत्र भी संलग्न किया है।

आत्मदाह करने जनदर्शन में पहुंचे जोगी कांग्रेस के नेता

जांजगीर-चांपा,(आरएनएस) आज फिर से एक बार आमजनता की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में जोगी कांग्रेस के संगीत कश्यप आत्मा दाह करने पहुच गए फिर क्या,मौके में तैनात पुलिस द्वारा नेता को सामझिस दी गई तब जाकर मामला शांत हुआ। मामला नवागढ़ ब्लाक के जोगी कांग्रेस के नेता संगीत कश्यप अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार आन्दोलन कर चुके है पर जिला प्रशासन इनकी मागो को नजर अंदाज कर देती थी। इस कारण परेसान होकर आज कलेक्टर जनदर्शन में आत्मदाह करने पहुच गए। जैसे ही इस नेता की इस हरकत की सूचना पुलिस तक पहुँची आनन फानन में नेता जी को समझाने पहुच गए। देखते ही देखते जोगी कांग्रेस के सरगुजा प्रभारी संतोष गुपता जिला अध्यक्ष इब्राहीम मेमन के साथ कार्यकर्ता भी कलेक्टर दफ्तर पहुच गए। आत्मदाह का कार्यक्रम डल गया । नेता जी मीडिया को भाषण देकर चले गए। थोड़ी देर में पुलिस भी चली गई, और खेल तमाशा खत्म हो गया। पुलिस की सुरक्षा में आत्मदाह करने पहुचे नेता जी.अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना नेता जी को जरूर पब्लिसिटी मिल गई पर इस बार आत्मदाह करने वाली हरकत नेता जी को उल्टा पड़ गया । आत्मदाह के पहले तो मीडिया को इस बात की सूचना दी कि मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ फिर पुलिस को सूचना दी। लेकिन नेता जी जब कलेक्टर दफ्तर पहुचते इसके पहले भारी संख्या में पुलिस दल बल के साथ पहुच गई थी फिर क्या नेता जी का सारा ड्रामा समाप्त हो गया। नेता को मिली जिला अध्यक्ष से फटकार नवागढ़ ब्लाक के जोगी कांग्रेस के नेता संगीत कश्यप जब आत्मदाह करने क्लेक्टर दफ्तर पहुचे तो इसकी सूचना पार्टी के जिला अध्यक्ष इब्राहिम मेमन को नही दी गई थी जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी किरकिरी हुई ।

12 साल की बच्ची से गैंगरेप

मुंगेली, (आरएनएस)। जिले के पथरिया इलाके के परसदा गांव में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पथरिया थाने के परसदा निवासी पीड़िता के माता-पिता किसी काम से रायपुर में होने के कारण करीब 2 माह से घर में अकेली रह रही थी और रोजाना रात में सोने के लिए अपने परिजन के यहां गांव में ही जाती थी। 27 फरवरी की रात करीब 8 बजे वह परिजन के यहां सोने अपने घर से निकली थी तभी रास्ते में सुनसान जगह पाकर गांव के ही आरोपी हरीशंकर राजपूत(19) व एक नाबालिग आरोपी दोनो ने मिलकर पीड़िता को जबरन उठाकर गांव के ही शिव मंदिर परिसर में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना से भयभीत बच्ची ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। होली के समय जब उसके माता-पिता घर लौटे तब पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने तत्काल रविवार को पथरिया थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। इस संबंध में मुंगेली एसपी पारुल माथुर ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के बताये अनुसार कल ही एक आरोपी को हिरासत में ले लिया था, वहीं आज दूसरे आरोपी को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है।

दसवीं बोर्ड की परीक्षा शुरू, गणित के सरल सवालों से परीक्षार्थी गदगद

बिलासपुर, (आरएनएस)। दसवी की परीक्षा गणित के पर्चे के साथ आज से शुरु हुई है। कठिन विषय के साथ दसवीं की परीक्षा शुरु होने से परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे। इसके पहले पर्यावरण व हिंदी के विषयों से बोर्ड परीक्षा से शुरुआत होती थी। लेकिन इस वर्ष कठिन विषय के साथ दसवीं की परीक्षा आरंभ की गई। ताकि बच्चे मानसिक रुप से स्वतंत्र हो सके। जिससे आगे की विषयों परीक्षा आसानी से दे सके। दसवीं की गणित विषय से परीक्षा की शुरुआत की गई। वहीं कठिन विषय होने के बाद भी जिले में एक भी नकल प्रकरण नहीं बना। वसूल रोकने के लिये 10 उडऩदस्ता की टीम बनाई गयी थी। जिसमें आज 9 उडऩदस्ता की टीम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। आज की परीक्षा में तकरीबन 33 हजार 490 छात्र-छात्राएं शामिल हुये। जिले में 143 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा आज से शुरु हुई। बिलासपुर जिले में 10वीं की परीक्षा के लिये 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिसमें 33 हजार 490 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिले के 7 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील माना था। इनमें बिल्हा के दो और मस्तूरी के पांच केंद्र शामिल हैं। लेकिन आज की गणित की परीक्षा में संवेदनशील केंद्रों केअलावा जिले में एक भी नकल प्रकरण नहीं बने। जबकि पिछले वर्ष गणित के पर्चे में नकल प्रकरण के कई मामले बने थे। जिसको ध्यान में रखते हुये विभाग ने तगड़ी सुरक्षा के इंतजाम किये थे। नकल प्रकरण नहीं बने जैसा कि 10वीं बोर्ड का पहला प्रश्न पत्र गणित का आज था। इसमें नकल की संभावना थी परंतु आज नकल रोकने के लिये उडऩदस्ता टीम को किसी प्रकार का कोई भी नकल प्रकरण नहीं मिला। इस संबंध में रतनपुर से केंदा केबीच उडऩदस्ता टीम में शामिल सहायक संचालक शिक्षा विभाग के अजय कौशिक ने बताया कि अब तक कोई भी नकल का प्रकरण नहीं बना है।

अचानक लकड़ी टाल में लगी भीषण आग

जांजगीर-चांपा,(आरएनएस)। स्टेशन रोड नैला में संतोष शर्मा के लकड़ी टाल में रखे लकड़ी के प्लेट में भीषण आग लग गई। आगजनी से तकरीबन 50 हजार रुपए का लकड़ी जलकर खाक हो गया। आग को बुझाने दमकल का सहारा लिया गया। लगभग दो घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल पड़ोस के युवकों ने सड़क किनारे फैले कचरे में आग लगा दी थी। आग की लपटें सेटिंग प्लेट मटेरियल की ओर पहुंच गया। धीरे- धीरे आग पूरे लकड़ी के गोदाम की ओर पहुंच गया। जिससे आग विकराल रूप धारण ले लिया। आग को बुझाने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए थे।।वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने के लिए दमकल को फोन किया। कुछ देर बाद मौके पर दमकल जरूर पहुंचा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तब तक आग बुझ नहीं पाई थी। दमकल वाहन पानी लेने चला गया। जब तक वह पानी लेकर घटना स्थल पर पहुंचा तब तक आग धू-धूकर जल रहा था। कुछ देर बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी से तकरीबन 50 हजार रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ

महासमुंद, (आरएनएस)। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के समक्ष आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारंभ कर दीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने बताया कि लंबित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा व सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से समय-समय पर शासन का ध्यानाकर्षित किया गया बावजूद आज पर्यंत शासन द्वारा इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने बताया कि बाध्य होकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। हड़ताल चरणबद्ध तरीके से चलेगा जिसके तहत 5-6 मार्च को महासमुंद तथा 7-8 को रायपुर में महा रैली, कलेक्टर को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में शासकीय कर्मचारी घोषित न्यूनतम वेतन 18 हजार, सेवानिवृत्त होने पर कार्यकर्ताओं को 3 लाख तथा सहायिकाओं को 2 लाख रूपए गुजर बसर देने, कार्यकर्ता को सुपरवाइजर बनाते समय उम्र की सीमा हटाने तथा सीधी पदोन्नति दी जाए, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाए तथा 10 बच्चों से कम उपस्थिति वाले केंद्रों को बंद न किया जाए। मांग पत्र में ड्रेस कोड की बाध्यता समाप्त करने, मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि 50 हजार करने की मांग की गई है। तहसील कार्यालय के समक्ष आंदोलन स्थल पर दर्जनों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं उपस्थित थीं।

आश्रम छात्रा का शव मिला, हत्या की आशंका

जगदलपुर, (आरएनएस)। लोहण्डीगुड़ा थाना क्षेत्र के गड़दा बालिका आश्रम में रविवार छठवीं कक्षा की छात्रा का शव मिलने से हड़कम्प मच गया। मामले की सूचना अधिक्षिका द्वारा लोहण्डीगुड़ा थाने में दी गई। लोहण्डीगुड़ा टीआई विकास ठाकुर ने बताया कि एड़मुड़ निवासी 12 वर्षीया छात्रा आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शनिवार को वह स्कूल गई थी शाम को उसने सिर दर्द होने तथा एक बार उल्टी होने की शिकायत की थी। जिसके बाद उसने खाना खाया और थोड़ा पेज भी पीया और अपने साथी छात्रा के साथ सो गई। सुबह सभी सोकर उठे और अपने काम में लग गए काफी समय बाद भी वह नहीं उठी तो इसकी सूचना अधिक्षिका को दी गई लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। टीआई ने बताया कि मृतिका के शरीर में चोट के निशान नहीं पाया गया है। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का खुलाशा हो सकेगा।

हर दिन देनी होगी रिपोर्ट, रोड मैप के अनुरूप कितना काम हुआ

राजनांदगांव,(आरएनएस)। कलेक्टर भीम सिंह ने आज निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं दिग्विजय स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने इन दोनों इमारतों को तय समयावधि में पूरा करने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अब इन इमारतों को पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसियों को मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट साझा करें। ठेका कंपनी ने कितने मजदूरों को लगाया है। रोड मैप के अनुसार कितना काम हो पाया, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आगे कितनी गति चाहिए, यह सारे विवरण डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में दर्ज होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार स्वाधीनता दिवस का ध्वज दिग्विजय स्टेडियम में फहराया जाना है इसे लेकर अब मिशन मोड पर काम कर स्टेडियम का काम पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि अभी जो श्रमिकों की संख्या है उससे इस काम में देर होने की आशंका है अतएव रोज 250 श्रमिकों को काम पर लगाएँ तथा रोज इसकी रिपोर्ट कलेक्टर एवं ईई पीडब्ल्यूडी को दें। उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर जे.के. ध्रुव हर सप्ताह दिग्विजय स्टेडियम के निर्माण कार्य की मानीटरिंग करेंगे। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज हास्पिटल के निर्माण का निरीक्षण भी किया। यहाँ फेस 1 और फेस 6 के फिनिशिंग काम का निरीक्षण उन्होंने किया। इन दोनों फेस में 90 प्रतिशत फिनिशिंग का काम हो चुका है। मेडिकल कॉलेज हास्पिटल का काम 30 जून तक समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान में श्रमिकों की संख्या पर भी असंतुष्टि जाहिर की तथा हर दिन 1500 श्रमिकों का लक्ष्य रखकर रोज रिपोर्टिंग देने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज हास्पिटल का निर्माण कर रही एजेंसी के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ड्राइंग एवं अन्य तकनीकी पक्षों से संबंधित किसी तरह की तकनीकी दुविधा नहीं है। भविष्य में भी किसी तरह की बाधा आने पर तुरंत समस्या का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के साथ गुणवत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग है इसमें निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जा सकती अतएव निर्माण के समय नियमित रूप से मानीटरिंग करते रहें एवं समस्या सामने आने पर अवगत कराएँ। उन्होंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से मुख्य सड़क को जोडऩे वाली सड़क के निर्माण के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिए। इससे जुड़े हुए अधिकारियों के लिए समय-सीमा के साथ ही गुणवत्ता का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। वे निर्माण के दौरान की बारीकियों को अमल में लाना तो सुनिश्चित करें ही, यह भी ध्यान रखें कि निर्माण के दौरान उपयोग में आने वाले मटेरियल की गुणवत्ता उच्चस्तरीय हो। मटेरियल की गुणवत्ता की जाँच के लिए यहीं टेस्ट लैब बनाया गया है। इसमें खरा पाये जाने के बाद ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। कलेक्टर ने इस दौरान निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि हेलमेट एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।